

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

क्रमांक:-विधिघ/2020/517-531

दिनांक:-21.03.2020

आदेश

नोवेल कोरोना वाइरस से बीमारी (COVID-19) की रोकथाम, प्रभावी मोनिटरिंग एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु तत्काल प्रभाव से तहसील कार्यालय सपोटरा मे नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है जिसके प्रभारी अधिकारी श्री विष्णु कुमार भारद्वाज तहसीलदार सपोटरा (मोबाईल नम्बर 7014068722) होंगे। नियंत्रण कक्ष तीन पारियों मे संचालित होगा जिसमे निम्न कार्मिको की ड्यूटी लगाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि नोवेल कोरोना वाइरस से प्रभावित व्यक्ति के संदिग्धता के सम्बन्ध मे सूचना प्राप्त होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सपोटरा (मोबाईल नं० 9414829300), जिला प्रशासन कन्ट्रोल रूम नम्बर (07464-251335) एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल अवगत करावे तथा उक्त सूचना का रिकार्ड संधारित किया जाना सुनिश्चित करे। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 07465-252225 है।

01. प्रथम पारी:- 06 एएम से 02 पीएम तक

क्र०सं०	नाम कर्मचारी एवं पद	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नम्बर
01	श्री दिगम्बर कुमार शर्मा अध्यापक	रा०उ०मा०वि० सपोटरा	9462031364

02. द्वितीय पारी:- 02 पीएम से 10 पीएम तक

क्र०सं०	नाम कर्मचारी एवं पद	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नम्बर
01	श्री गोपाल लाल गुप्ता अध्यापक	रा०उ०मा०वि० सपोटरा	6378504083

03. तृतीय पारी:- 10 पीएम से 06 एएम तक

क्र०सं०	नाम कर्मचारी एवं पद	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नम्बर
01	श्री रमेश चन्द शर्मा अध्यापक	रा०उ०प्रा०वि० सपोटरा	9887086876

लीव रिजर्व:-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी एवं पद	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नम्बर
01	श्री लोकेश कुमार गुप्ता अध्यापक	रा०उ०मा०वि० गज्जपुरा	9875084430
02	श्री विनोद कुमार शर्मा अध्यापक	रा०उ०प्रा०वि० संस्कृत सपोटरा	9001662263
03	श्री गोविन्दसिंह गुर्जर अध्यापक	रा०मा०वि० मिझोरा	9982510474

विशेष:- 01. नियंत्रण कक्ष मे नियुक्त कार्मिकों द्वारा जानबूझकर लापरवाही करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसके अर्न्तगत एक वर्ष तक सिविल कारावास अथवा शास्ति आरोपित की जा सकती है साथ ही सी.सी.ए. नियमों के तहत भी समानान्तर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा

Disk-D/Letter A-4 /586